न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 450/2022

दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24.11.2022	24.08.2023

उनवान

1. श्री निर्मल कुमार पुत्र बच्छराज निवासी 21–आदर्शनगर, कमला विहार के पास भीलवाडा।
2. श्रीमति पुखराज देवी पत्नी मानमल गुनेचा निवासी कृष्णानगर दिल्ली

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. लादूदास पिता कानादास बैरागी निवासी पाटनिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मुरलीदास पुत्र नन्दादास बैरागी निवासी पाटनिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. अय्युब शेख पिता सिलाउदीन शेख निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. निर्मल पुत्र मथूरादास बैरागी निवासी पाटनिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. भैरू पिता मथुरादास बैरागी निवासी पाटनिया तहसील व जिला भीलवाडा।
6. भैरूलाल पिता गिरधारीदास बैरागी निवासी पाटनिया तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
8. बडौ राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांथल जिला भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण ओम प्रकाश शर्मा
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटनिया प0ह0 दांथल भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 86 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 568/1, 569/1, 582, 583, 583/1, 594/2 कुल किता 06 कुल रकबा 1.0370 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पाटनिया प0ह0 दांथल भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 86 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 568/1, 569/1, 582, 583, 583/1, 594/2 कुल किता 06 कुल रकबा 1.0370 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा